



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259782
CG-DL-E-01012025-259782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]
No. 358]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSA 9, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 2024

मामला सं. एडीडी (एसएसआर) - 05/2024

विषय : यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

- फा. सं. 7/14/2024 -डीजीटीआर : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के

अथवा वहां से निर्यातित टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएं' कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटन रोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले से वापस न ले लिया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के समाप्त हो जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांच की पुष्टि

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2020 को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 4 सितंबर 2020 को जारी किए गए थे, जिनमें अनंतिम पाटनरोधी उपायों को लागू करने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 2 दिसंबर 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 43/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अनंतिम पाटनरोधी उपाय लगाए। प्राधिकारी ने दिनांक 28 जनवरी 2021 की अधिसूचना फा.संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि की और 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2021 की अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था। उपरोक्त शुल्कों को, जब तक कि उन्हें पहले से हटा न लिया जाता, 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था और ये दिनांक 1 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित किए गए उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है :

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) है, जिसमें आइसोमर सामग्री का अनुपात 80:20 है"। टोल्यून डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र $CH_3C_6H_3(NCO)_2$ है। छः में से दो संभावित आइसोमर व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं: 2, 4- टीडीआई (सीएस : 584-84-9) और 2, 6- टीडीआई (सीएस : 91-08-7)। इनमें 2,4- टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित होता है, लेकिन टीडीआई को प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर के क्रमशः 80/20 और 65/35 के मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद

टीडीआई से संबंधित है, जिसमें आइसोमर सामग्री (80:20) के अनुपात में है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

4. उत्पाद को कोड 2929 10 20 के अंतर्गत अध्याय शीर्षक 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहा है जो कि मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

ग. समान वस्तु

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत के निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में समान वस्तु के मामले की जांच भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

7. यह आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

8. इसे देखते हुए तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है तथा आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है। इसके अलावा, यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है, यद्यपि नियम 5(3) की अपेक्षाएं निर्णायक समीक्षा आवेदन में लागू नहीं होती हैं।

ड. संबद्ध देश

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

च. पाटन और पाटन मार्जिन जारी रखना**सामान्य मूल्य**

10. संबद्ध देशों से सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से, आवेदक ने यह दावा किया है कि वह इन देशों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। आवेदक ने संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ मार्जिन को समुचित रूप से शामिल करके उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित है। जांच शुरुआत करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात मूल्य

11. आवेदक ने बाजार की जानकारी के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदा- वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की गणना की है। चूंकि सूचना सीआईएफ आधार पर है, इसलिए इसे समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

12. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहा है। चाइनीज ताइपेई से कोई आयात नहीं हुआ है।

छ. पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना

13. आवेदक ने पाटन किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर हो रही क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों के चलते कीमतों में आई गिरावट के कारण आवेदक के लिए पूरी लागत की वसूली करने और उचित दर पर प्रतिफल की प्राप्ति करने के लिए अपनी कीमतों में बदलाव करने में रुकावट आ रही है। आवेदक वित्तीय घाटे का सामना कर रहा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में आगे भी क्षति होने की संभावना है।
14. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने तथा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

15. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को प्रमाणित करता है तथा नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

16. जांच के लिए पीओआई दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक (15 माह) है। आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 माह) का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल है। आवेदक ने इस आधार पर अनुरोध किया है कि प्रस्तावित 15 माह की अवधि की तुलना 23 जुलाई से 24 जून (आगे की संभावित 12 माह की अवधि) से करने पर यह पता चलेगा कि आयात की मात्रा और मूल्य मात्रा और कीमत में तुलनात्मक हैं।
17. यह जांच की अवधि उपयुक्त है, क्योंकि यह बिल्कुल ही हाल की अवधि है, जो जांच शुरू होने की तारीख से 6 माह के भीतर की है और इसमें घरेलू उद्योग की वित्तीय लेखा अवधि का एक पूरा वर्ष शामिल है। इसके अलावा, विचार की गई अवधि के कारण कोई भी संदिग्ध विश्लेषण नहीं होगा। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए विचार की गई जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक (15 माह) है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि शामिल है।

ञ. प्रक्रिया

18. निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 28 जनवरी 2021 की अधिसूचना फा. संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।
19. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

20. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से ईमेल पते dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर किए जाने चाहिए, साथ ही उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adg16-dgtr@gov.in पर भी दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत सूचना का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।
21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हुए ऐसे आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दर्ज कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना के द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी जांच से संबंधित अपने प्रस्तुतीकरण निर्धारित प्रारूप और तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्षकार को अपना अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि उन्हें जांच से संबंधित जानकारी और आगे की प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी रहे।

ठ. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी को ई-मेल पते dd19-dgtr@gov.in तथा dd18-dgtr@gov.in पर तथा उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in तथा adg16-dgtr@gov.in पर नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त नियमों के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना तथा अन्य दस्तावेजों के लिए मांग से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुए माने जाएंगे। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त हाती है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां भी वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतीकरण करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
28. ऐसे प्रस्तुतीकरणों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस प्रकार से अंकित किए बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्रस्तुतीकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा या खाली रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और ऐसी सूचना का समुचित रूप से और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
31. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सारांश को समुचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रभाव पड़ने योग्य नहीं है और नियमावली 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
32. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

33. गोपनीयता के दावे पर नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
34. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल से भेजें। अनुरोध/ प्रतिक्रिया/ सूचना का गोपनीय पाठ परिचालित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

36. ऐसे मामले में, जहां कोई हितबद्ध पक्षकार एक तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना सुलभ काने से इनकार करता है अथवा अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या समीक्षा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को, जैसा उपयुक्त समझें, सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Trade Remedies)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi , the 30th December 2024

CASE No. ADD (SSR) - 05/2024

Subject: Initiation of sunset review anti-dumping investigation on imports of ‘Toluene Di-Isocyanate’ (TDI) originating in or exported from European Union and Saudi Arabia.

1. **F. No. 7/14/2024 -DGTR**: Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of Toluene Di-Isocyanate (TDI) (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’), originating in or exported from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of previous investigation.

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject countries was initiated on 31st January 2020 by the Authority. The preliminary finding was issued on 4th September 2020, recommending imposition of provisional anti-dumping measures. The Ministry of Finance imposed vide Customs Notification No. 43/2020-Customs (ADD) dated 2nd December 2020 imposed provisional anti-dumping measures. The Authority vide Notification F. No. 6/43/2019-DGTR dated 28th January 2021, confirmed the preliminary finding and recommended imposition of anti-dumping duties for a period of 5 years, which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 28/2021-Customs (ADD), dated 27th April 2021. The said duties were levied for a period of 5 years, unless revoked earlier, and are set to expire on 1st December 2025.

B. Product under consideration (PUC).

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

3. *The product under consideration in the present investigation is “Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic*

compound having formula CH₃C₆H₃ (NCO)₂. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

4. The product is classified under the Chapter Heading 29 under the code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

5. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.

C. Like article.

6. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses. product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of antidumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

D. Domestic industry and standing.

7. The application has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. Applicant is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has certified that it has not imported the goods from the subject countries and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importers of the subject goods in India.
8. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry'. Further, the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application.

E. Subject countries.

9. The subject countries in the present investigation are European Union and Saudi Arabia. In the original investigation, the duties were also imposed against the imports from Chinese Taipei and United Arab Emirates. In the present investigation, there are no imports from Chinese Taipei and United Arab Emirates in the period of investigation and the applicant has not provided any evidence

to establish likelihood of recurrence of dumping and consequent injury. Therefore, Chinese Taipei and United Arab Emirates have not been considered for sunset review investigation.

F. Continuation of dumping and dumping margin.

Normal Value

10. For the purpose of determining the normal value from subject countries, the applicant has claimed that it was not able to fetch information relating to the prices of the subject goods in these countries. The applicant has claimed normal value based on the cost of production in the subject countries based on best estimates of the cost of the production with reasonable addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margins. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value based on cost of production in India.

Export price

11. The applicant has claimed CIF export price based on market intelligence. The Authority has computed the export price for the subject countries based on the DGCI&S transaction wise import data. Since the information is on CIF basis, it has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses.

Dumping margin.

12. Based on the normal value and the export price determined, as stated above, it is seen that the dumping margin is positive and significant for European Union and Saudi Arabia. It is seen that the dumping of the subject goods has continued.

G. Likelihood of recurrence of dumping and injury.

13. The applicant has provided prima facie evidence with respect to the continued injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The price undercutting from the subject countries is positive. The price depression caused by dumped imports have been preventing the applicant from moving its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering from financial losses. The applicant has also claimed that there is a likelihood of further injury in the present investigation.
14. The information provided by the applicant, prima facie, shows recurrence of dumping from the subject countries and likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

H. Initiation of sunset review investigation.

15. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

I. Period of investigation (POI).

16. The POI for the investigation is from 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The applicant proposed the period of investigation (POI) from 1st April 2023 – 30th June 2024 (15 months). The injury examination period covered April 2020 – March 2021, April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023 and the proposed period of investigation. The applicant has requested on the ground that a comparison of 15-month period proposed with July 23 to June 24 (the next possible 12-month period), would show that the import volume and value are comparable in volume and price.
17. The period of investigation is appropriate, as it is most recent, within 6 months from the date of initiation, and includes a complete year of financial accounting period of the domestic industry. Further, the period considered will not lead to any skewed analysis. Accordingly, the period of investigation considered for the present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury examination period covers the period April 2020 – March 2021, April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023 and 1st April 2023 to 30th June 2024.

J. Procedure.

18. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification F. No. 6/43/2019-DGTR dated 28th January 2021, recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
19. The provisions of Rules 6,7,8,9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. Submission of information

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
21. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in within thirty days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis.

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
28. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

N. Inspection of public file.

35. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate nonconfidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

O. Non-cooperation.

36. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the review investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority